अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं. 18/2019

तारीख दायरा 4.06.2019

तारीख फैसला 9/2/2023

बउनवान

श्रवण सिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत, निवासी म0न0516/45,सी/ओ पृथ्वी सिंह कानपुर जिले वाले की गली छावनी, वार्ड न0 36, कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

निर्णय

यह कि ग्राम बालूपा, पटवार हलका– बालूपा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त में ख0नप0 83 रकबा 0.68है0 ख0न0 111 रकबा 7.37है0, ख0न0 294 रकबा 0.45है0, ख0न0 295 रकबा 1.34है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.84है0 भूमि स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी के खाते आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम उम्मेद सिंह पुत्र श्री रूपसिंह के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम उम्मेद सिंह पुत्र श्री रूपसिंह दर्ज, आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम श्रवण सिंह है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार व अधिकार के बाद के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्वक प्रार्थी का नाम श्रवण सिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। प्रार्थी का नाम विगत राजस्व रिकॉर्ड, प्रशासनिक रिकॉर्ड में श्रवणसिंह ही है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा त्रुटिपूर्वक प्रार्थी का नाम श्रवणसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह इन्द्राज दुरुस्ती करवाये तथा प्रार्थी का नाम उम्मेदसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह दर्ज करवाये।

यह कि प्रार्थी का नाम श्रवणसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह कर देने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को दरुस्त करने बाबत् निवेदन किया किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया टाल–मटोल किया, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं कर प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इस कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आशय की आदेश पारित फरमाया जावे कि–

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

विवादित ग्राम–बालूपा, पटवार हलका बालूपा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में ख0न0 83 रकबा 0.68है0, ख0न0 111 रकबा 7.37है0, ख0न0 294 रकबा 0.45है0 ख0न0 295 रकबा 1.34है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.84है0 में अप्रार्थी द्वारा की गयी त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम उम्मेदसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह दर्ज किया जावे तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी की की तलबी होने पर पत्रावली वास्ते जवाब सरकार हेतु नियत की गई। प्रकरण में जवाब पतिवादी तहसीलदार पीपल्दा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राशनकार्ड,आधारकार्ड,मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में प्रार्थी का नाम श्रृवणसिह पुत्र रूपसिह है परन्तु प्रार्थी के पिता का रूपसिह का फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम उम्मेदसिह पिता रूपसिह दर्ज कर दिया गया था जबकि जांच के बाद पाया गया कि उम्मेदसिह पुत्र रूपसिह व श्रवणसिह पुत्र रूपसिह एक ही व्यक्ति है। जबकि उसका वास्तविक नाम श्रवणसिह पुत्र रूपसिह जाति राजपूत होना जानकारी में आया है।

अतः ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में उम्मेदसिह का नाम विलोपित करने के स्थान पर खाते में उम्मेदसिह के स्थान पवर श्रवणसिह उर्फ उम्मेद सिह दर्ज किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी का नाम विवादित आराजीयात् में उम्मेदसिह के स्थान पर श्रवणसिह किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड राशनकार्ड,आधारकार्ड,मतदाता पहचान पत्र, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जवाब तहसीलदार, ग्राम पंचायत बालूपा का प्रमाण पत्र इत्याद्वि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा भी अपने जवाब में वादी का नाम उम्मेदसिह के स्थान पर श्रवणसिह किया जाना उचित माना है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बालूपा, पटवार हलका– बालूपा, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त में ख0नप0 83 रकबा 0.68है0 ख0न0 111 रकबा 7.37है0, ख0न0 294 रकबा 0.45है0, ख0न0 295 रकबा 1.34है0 कुल किता 4 कुल रकबा 9.84है0 भूमि में वादी का नाम उम्मेदसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे। यदि विवादित आराजीयात् में रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा
इटावा